**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**कुंदन सिंह उर्फ कुंदन कुमार सिंह**

**बनाम**

**बिहार राज्य**

2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 293

(के साथ 2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 262 तथा
2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 354)

28 अगस्त 2024

**(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय)**

**विचार के लिए मुद्दा**

- क्या अभियोजन ने अपीलकर्ताओं की अपराधिता को उचित संदेह से परे साबित किया है?
- क्या चश्मदीद गवाहों के बयान विश्वसनीय थे और चिकित्सा एवं फोरेंसिक साक्ष्य के साथ सुसंगत थे?
- क्या स्वतंत्र गवाहों का परीक्षण न करना और प्रक्रियात्मक चूकें अभियोजन के मामले को कमजोर करती हैं?

**हेडनोट्स**

आपराधिक कानून - सजा के खिलाफ अपील - चश्मदीद की विश्वसनीयता - रिश्तेदार और इच्छाशक्ति गवाह - चिकित्सा साक्ष्य बनाम दृश्य साक्ष्य - चोट के विवरण में अप्रत्याशितता - समय, स्थान और घटना के तरीके को साबित करने में असफलता - आरोपी का आचरण - भागने के प्रयास की अनुपस्थिति - स्वतंत्र गवाहों का परीक्षण न करना - महत्वपूर्ण साक्ष्य को दबाना - संदेह का लाभ।

निर्णय: चिकित्सीय और नेत्र संबंधी साक्ष्यों के बीच गंभीर विरोधाभासों, स्वतंत्र पुष्टि की कमी और प्रक्रियागत चूक को देखते हुए, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से

परे साबित करने में असफल रहा। संदेह का लाभ अपीलकर्ताओं को दिया गया, जिससे उनकी निर्दोषता का निर्णय हुआ।

## न्याय दृष्टान्त

गुलाब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2022) 12 एससीसी 677;** राजेश यादव एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2022) 12 एससीसी 200;** कमल प्रसाद एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य) **(2023) 10 एससीसी 172;** विजय पाल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार) **(2015) 4 एससीसी 749;** अमृता उर्फ अमृतलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य **(2004) 12 एससीसी 224;** राम नरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2024) 1 एससीसी 443**; विजेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2017) 11 एससीसी 129;** दरबारा सिंह बनाम पंजाब राज्य **(2012) 10 एससीसी 476**; रमेशजी अमरसिंह टाकोर बनाम गुजरात राज्य **(2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1321**

## अधिनियमों की सूची

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, शस्त्र अधिनियम

## मुख्य शब्दों की सूची

कठोर कारावास; जाँच; अन्त्य परीक्षण; रिगोर मॉर्टिस; राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता

## प्रकरण से उत्पन्न

थाना कांड संख्या-14 वर्ष-2016, थाना- बिथान, जिला- समस्तीपुर से उद्भूत

## पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए: श्री रामाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री संजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री विजय कुमार पाथा, अधिवक्ता; श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता
राज्य के लिए: श्री अभिमन्यु शर्मा, सहायक लोक अभियोजक
सूचक के लिए: श्री आशीष गिरी, अधिवक्ता
(2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या-262 में)

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री नागेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री बिजय कुमार पाठा, अधिवक्ता; श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री अभिमन्यु शर्मा, सहायक लोक अभियोजक

सूचक के लिए: श्री आशीष गिरी, अधिवक्ता

(2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या-354 में)

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री अभय शंकर सिंह, अधिवक्ता; श्री अमित कुमार मिश्रा, अधिवक्ता; सुश्री रुशाली, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री अभिमन्यु शर्मा, सहायक लोक अभियोजक

सूचक के लिए: श्री आशीष गिरी, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट्स बनाया गया: रवि राज, अधिवक्ता

**माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश**

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.-293**

थाना कांड संख्या-14 वर्ष-2016, थाना- बिथान, जिला- समस्तीपुर से उद्भूत

======================================================

कुंदन सिंह उर्फ कुंदन कुमार सिंह पिता - स्वर्गीय सदानंद सिंह, निवासी- ग्राम- हसनपुर, थाना-हसनपुर,जिला-समस्तीपुर।

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/ओं

======================================================

के साथ

**2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.-262**

थाना कांड संख्या-14 वर्ष-2016, थाना- बिथान जिला- समस्तीपुर से उद्भूत

======================================================

कृष्ण कुमार यादव उर्फ बरकू यादव पिता - राम स्वारथ यादव निवासी- परकौलिया लार्जा वार्ड संख्या 8, थाना- बिथान, समस्तीपुर, बिहार - 848207

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/ओं

===============================================================

के साथ

**2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.-354**

थाना कांड संख्या-14 वर्ष-2016 थाना- बिथान जिला- समस्तीपुर से उद्भूत

===============================================================

लक्ष्मी यादव उर्फ भोटियाल पिता -रामजी यादव निवासी- ग्राम-चेचेनी , थाना- बिथान, जिला- समस्तीपुर

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/ओं

===============================================================

**उपस्थितिः**

(2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 293 में)

| | | |
|---|---|---|
| अपीलार्थियों के लिए | : | श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता |
| | | श्री संजय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता |
| | | श्री नागेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता |
| | | श्री बिजय कुमार पाठा, अधिवक्ता |
| | | श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता |
| राज्य के लिए | : | श्री अभिमन्यु शर्मा, सहायक लोक अभियोजक |
| सूचक के लिए | : | श्री आशीष गिरी, अधिवक्ता |

(2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 262 में)

| | | |
|---|---|---|
| अपीलार्थियों के लिए | : ` | श्री नागेंद्र कुमार सिंह, अधिवक्ता |
| | | श्री बिजय कुमार पाठा, अधिवक्ता |
| | | श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता |
| राज्य के लिए | : | श्री अभिमन्यु शर्मा, सहायक लोक अभियोजक |
| सूचक के लिए | : | श्री आशीष गिरी, अधिवक्ता |

(2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 354 में)

| | | |
|---|---|---|
| अपीलार्थियों के लिए | : | श्री अभय शंकर सिंह, अधिवक्ता |
| | | श्री अमित कुमार मिश्रा, अधिवक्ता |
| | | सुश्री रुशाली, अधिवक्ता |
| राज्य के लिए | : | श्री अभिमन्यु शर्मा, सहायक लोक अभियोजक |
| सूचक के लिए | : | श्री आशीष गिरी, अधिवक्ता |

==============================================================

**समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली**

**तथा**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय**

**मौखिक निर्णय**

**(द्वारा : माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)**

**दिनांक : 28-08-2024**

सभी प्रस्तुत अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (यहाँ से 'संहिता' कहा जायेगा) की धारा 374(2) के तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रथम रोसरा, समस्तीपुर द्वारा 2017 के सत्र मामला संख्या 295, 2016 के बिथान थाना कांड संख्या 14 से उद्भूत में पारित 04.01.2019 के दोषसिद्धि निर्णय और 08.01.2019 के दंडादेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई हैं , इस निर्णय में, संबंधित सत्र न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120(बी) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें भा. दं. वि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और शस्त्र अधिनियम की धारा 27(2) के तहत सात वर्षों का कठोर कारावास की सजा सुनाई और भा. दं. वि की धारा 302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27(2) के तहत क्रमशः ₹20,000 और ₹10,000 का जुर्माना लगाया तथा जुर्माना न चुकाने की स्थिति में प्रत्येक अपराध के लिए तीन महीने के कठोर कारावास का प्रावधान किया गया। सभी सजाओं को साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया।

**<u>तथ्यात्मक मैट्रिक्सः-</u>**

2. ललित यादव का *फर्दबयान* अवर निरीक्षक रंजीत कुमार, थाना प्रभारी ., बिथान द्वारा सिरसिया गाँव में अभिलेख किया गया कि 16.02.2016 को लगभग 07 बजे सुबह सूचक दो मोटरसाइकिलों पर बिथान जा रहा था। उनके चचेरे भाई बीरेंद्र यादव आगे

ग्लैमर मोटरसाइकिल पर सवार थे। उनके पीछे राजेश यादव मोटरसाइकिल पर सवार थे। जब वे सिरसिया चौराहा पर पहुंचे, तो दो मोटरसाइकिल पहले से ही वहाँ खड़ी थीं और कुंदन सिंह, बारकू यादव, पप्पू यादव, सुशील यादव, लक्ष्मी यादव, मंगल यादव सहित कुछ लोग शस्त्र और हथियारों के साथ वहाँ खड़े थे। सभी चेचनी थाना ,जिला-समस्तीपुर के निवासी हैं। अन्य 3-4 अज्ञात व्यक्ति वहाँ थे जिन्हें देखकर पहचाना जा सकता है। कुंदन सिंह, बारकू यादव, पप्पु यादव, सुशील यादव, मंगल यादव और अन्य हथियारों से लैस थे। सिरसिया चौक पहुंचने पर, उन्होंने मोटरसाइकिलों को घेर लिया और कुंदन सिंह ने उन्हें यह कहते हुए गाली दी कि उन्होंने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है और वे उन्हें खत्म कर देंगे। यह कहने के बाद कुंदन सिंह ने अपने हाथ में रखी पिस्तौल से गोली चलाई जो बीरेंद्र यादव के कनपटी में लगी। बीरेंद्र यादव को कुंदन यादव और उसके साथ आए अन्य लोगों ने गोली मार दी। गोलीबारी में घायल होकर बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव वहां गिर गए। मोटरसाइकिल से उतरने के बाद, कुंदन सिंह ने बीरेंद्र यादव को हिलाकर उसकी स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की और गाली-गलौज करते हुए कहा कि वह मर चुका है। उसने सभी से कहा कि वह सोनवर्षा की ओर जा रहा है और उन्हें बिथान छोड़ देना चाहिए। उसके बाद, सभी अपराधी कुंदन सिंह के साथ पश्चिम हसनपुर की ओर भागे और अन्य तीन व्यक्ति पैदल ही पश्चिम की ओर भागे। डर के कारण, सूचक उस जगह के पीछे छिप गया। अपराधियों के चले जाने के बाद, वह और राजेश अपनी छिपने की जगह से बाहर आए और बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव के पास पहुंचे। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी।

2.1. प्राथमिकी के दर्ज होने के बाद, अनुसंधान कर्ता ने जांच शुरू की और जांच के दौरान, उन्होंने साक्षियों  के बयान दर्ज किए और उसके बाद संबंधित दंडाधिकारी न्यायलय के समक्ष अपीलार्थी/आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, इसलिए विद्वान दंडाधिकारी ने इसे सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहां इसे 2017 के सत्र विचारण सं. 295 के रूप में दर्ज किया गया था।

3. 2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) संख्या 293 में, हमने श्री रमाकांत शर्मा और श्री संजय सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं श्री नागेंद्र कुमार सिंह द्वारा सहायता प्राप्त, अपीलार्थी की ओर से श्री बिजय कुमार पाठक और श्री राहुल कुमार, उत्तरदाता राज्य के लिए स.लो.अ. श्री अभिमन्यु शर्मा, और सूचक के लिए श्री आशीष गिरि को सुना।

3.1. 2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) संख्या 262 में, हमने विद्वान अधिवक्ता श्री नागेंद्र कुमार सिंह श्री बिजय कुमार पाठक द्वारा सहायता प्राप्त, और अपीलार्थी की ओर से और श्री राहुल कुमार, उत्तरदाता राज्य के लिए विद्वान स.लो.अ. श्री अभिमन्यु शर्मा और सूचक के लिए श्री आशीष गिरि सुना।

3.2. 2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) संख्या 354 में, हमने विद्वान अधिवक्ता श्री अभय शंकर सिंह श्री अमित कुमार मिश्राद्वारा सहायता प्राप्त, अपीलार्थी की ओर से और सुश्री रुशाली, उत्तरदाता राज्य के लिए विद्वान स.लो.अ. श्री अभिमन्यु शर्मा और सूचक के लिए श्री आशीष गिरि सुना ।

**<u>अपीलकर्ताओं की ओर से दलीलें :-</u>**

4. 2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) संख्या 293 में उपस्थित, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं श्री संजय सिंह और श्री रमाकांत शर्मा, ने मुख्य रूप से दलील दिया कि अभियोजन पक्ष ने अ.सा.-1 से अ.सा.-4 को चश्मदीद साक्षी के रूप में पेश किया है। हालाँकि, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह कहा जा सकता है कि वे विचाराधीन घटना के चश्मदीद साक्षी नहीं हैं। वास्तव में, अ.सा.-1 से अ.सा.-4 इच्छुक साक्षी हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी से पूछताछ नहीं की गई है। अ.सा-2 ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि दोनों मृतक यानी बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव उसके चचेरे भाई हैं। अ.सा-1 ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि सह-ग्रामीण होने के अलावा वे सम्बन्धी हैं। यह भी दलील दिया जाता है कि अ.सा-3 और अ.सा-4 संयोग साक्षी हैं। विद्वान अधिवक्ताओं ने अ.सा-3 द्वारा दिए गए बयान का उल्लेख किया और दलील दिया कि उक्त साक्षी ने कंडिका -1 में कहा है कि, घटना के दिन, 07:00 बजे सुबह , वह सब्जियाँ खरीदने के लिए बिथान जा रहा था। अ.सा- 4 ने इसी तरह कंडिका -1 में अपने बयान में कहा है कि वह अपनी भैंस को चराते हुए बिथान बाजार से सिरसिया गांव की ओर आ रहा था। वास्तव में, उक्त साक्षी भी एक इच्छुक साक्षी है और कंडिका -20 में उक्त साक्षी ने स्वीकार किया था कि मृतक बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव उसे जानते थे। बीरेंद्र यादव की भाभी पहले गाँव की *प्रमुख* थीं। उक्त साक्षी ने आगे कहा कि उसके दामाद राकेश कुमार को *प्रमुख* और *मुखिया* की अध्यक्षता वाली संबंधित समिति द्वारा चेचनी स्कूल में प्रखंड शिक्षक के रूप में तैनात किया गया है। अतः उक्त साक्षी के दामाद को मृतक बीरेंद्र यादव के परिवार द्वारा नौकरी दी गई है। इस स्तर पर अ.सा-8 यानी अनुसंधान कर्ता के बयान से यह भी पता

चलता है कि यह घटना रामनंदन राय के घर के सामने हुई थी। हालाँकि, रामनंदन राय, या किसी अन्य साक्षी जो घटना स्थल के आसपास थे या ऐसे व्यक्ति जो घटना के बाद घटना स्थल पर एकत्र हुए थे उनसे पूछताछ नहीं की गई है।

5. इस स्तर पर, अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलील दिया कि चिकित्सा साक्ष्य तथाकथित चश्मदीद साक्षियों द्वारा दिए गए संस्करण का समर्थन नहीं करते हैं। विद्वान अधिवक्ताओं ने चिकित्सक (अ.सा.-7) के बयान को संदर्भित किया, जिन्होंने दोनों मृतकों के शव का *अन्त्य परीक्षण* किया था । यह दलील दिया जाता है कि अ.सा.-7 ने विशेष रूप से कहा कि मृतक बीरेंद्र यादव को खोपड़ी के बाईं ओर एक कटी हुई घाव थी। उक्त साक्षी ने आगे बताया कि मृतक बीरेंद्र यादव के कनपटी पर घाव संख्या 1 कठोर और कुंद हथियार से हुई हो सकती है। यह भी दलील दिया जाता है कि अ.सा.-7 (चिकित्सक) ने भी विशेष रूप से स्वीकार किया है कि उन्हें प्रवेश घाव पर कोई जलने , टैट्रू बनाने और कालापन नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि, वर्तमान मामले में, गोलियां 7 फीट से अधिक की दूरी से चलाई गई थीं। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जोर दिया कि चिकित्सा साक्ष्य तथाकथित चश्मदीद साक्षियों द्वारा दिए गए संस्करण को पूरी तरह से खारिज करते हैं।

6. इस स्तर पर, विद्वान अधिवक्ताओं ने यह भी दलील दिया कि अ.सा.-7 (चिकित्सक ), जिन्होंने *अन्त्य परीक्षण* किया था , ने विशेष रूप से यह राय दी है कि चूंकि मृत्यु 36 घंटे के भीतर हुई थी क्योंकि *रिगोर मॉर्टिस* मौजूद था। यह दलील दिया जाता है कि भले ही *अन्त्य परीक्षण* का समय 03:00 शाम का माना जाए और घटना का समय, जैसा कि सूचक ने बताया है 07:00 बजे है ,**मृत्यु** 07:00 बजे से बहुत पहले हुआ होगा। आगे यह दलील दिया जाता है कि अ.सा.-8 (अनुसंधान कर्ता ) ने यह भी कहा है कि उन्होंने 07:30 बजे सुबह जांच शुरू की थी और स्टेशन दैनिकी प्रविष्टि में, उसी तारीख को, उन्होंने दर्ज किया था कि सुबह 6:00-6:20 के बीच उसे घटना की जानकारी मिली थी। इसके अलावा, अनुसंधान कर्ता ने यह भी स्वीकार किया कि उसे एक अज्ञात व्यक्ति से जानकारी मिली थी जिसका उल्लेख उसने स्टेशन दैनिकी में किया था। अनुसंधान कर्ता ने यह भी बयान दिया है कि उसे आरक्षी अधीक्षक से घटना की जानकारी मिली थी । इसलिए विद्वान अधिवक्ताओं ने दलील दिया कि इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह घटना 07:00 बजे सुबह से बहुत पहले हुई थी और अ.सा.-1 और अ.सा.-2 ने जानबूझकर कहा है कि वे 06:00 बजे सुबह चेचानी गाँव से अपने घर से निकले थे 7:00 बजे सुबह सिरसिया

*चौराहा* पहुँचे। इस प्रकार, अ.सा.-1 और अ.सा.-2, वास्तव में, चश्मदीद साक्षी नहीं हैं और उन्होंने अपने गाँव चेचानी से सिरसिया तक यात्रा करने में लगने वाले समय को समझाने के लिए घटना के समय में हेरफेर किया है क्योंकि उन्हें नाव से नदी पार करनी होती है। इसलिए विद्वान अधिवक्ताओं ,ने आग्रह किया कि जब उपरोक्त साक्षी मृतक के रिश्तेदार और इच्छुक साक्षी हैं और जब उनका बयान भरोसेमंद नहीं है, तो इस न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द किया जा सकता है।

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने आगे दलील दिया कि अनुसंधान कर्ता के बयान के अनुसार, आरोपी लक्ष्मी यादव को चेचानी गांव से उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी दल में स्वयं अनुसंधान कर्ता और अवर निरीक्षक बडेलाल शामिल थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया था। इसके बाद, बडेलाल अनुसंधान कर्ता के साथ सहरसा के गांव लाडमा, सोनवर्षा के लिए रवाना हो गए। अनुसंधान कर्ता निजी वाहन से गए और अवर निरीक्षक बडेलाल पुलिस वाहन से गए। अ.सा.-8 (अनुसंधान कर्ता ) ने बयान दिया था कि जब वह सोनवर्षा पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कुंदन सिंह अपने रिश्तेदार के घर पर हैं और घर मेहमानों से भरा हुआ है और पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि कुंदन सिंह के भतीजे की शादी हो रही है। यह भी दलील दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने कुंदन सिंह के मोबाइल के सी. डी. आर. को कहीं भी समझाया नहीं है जो सहरसा का स्थान दिखाता है, और न ही यह 15.06.2016 को टोल प्लाजा को पार करने वाले वाहनों के फुटेज की व्याख्या करता है।

8. यह भी दलील दिया जाता है कि पक्षों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण, अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाया गया है, हालांकि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था और वह घटना स्थल से 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर अपने भतीजे के विवाह समारोह में भाग ले रहा था। यह दलील दिया जाता है कि, बचाव पक्ष के साक्षियों से पूछताछ करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत करके और आवश्यक दस्तावेज दलील देते हुए, अपीलार्थी *अन्यत्र उपस्तिथि* साबित करने में सक्षम रहा, जिसके बावजूद विचारण न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने यह भी दलील दिया कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयान में काफी विरोधाभास, विसंगतियां और अनियमितताएं हैं और अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया है और इसलिए, इसे निरस्त रद्द कर दिया जाए।

9. अपीलार्थी लक्ष्मी यादव की ओर से 2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) संख्या 354 में पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अभय शंकर सिंह ने भी अपीलार्थी कुंदन सिंह की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए दलील को अपनाया है। हालांकि, यह आगे दलील दिया गया है कि अभियोजन घटना के समय, घटना के तरीके और यहां तक कि घटना के स्थान को भी उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। यह दलील दिया जाता है कि मृतक व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास था और उनके खिलाफ जघन्य प्रकृति के कई मामले लंबित थे और इसलिए, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य तरीके से और अलग-अलग समय और स्थान पर गिरोह हिंसा में उनकी हत्या की पूरी संभावना थी और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यह दलील दिया जाता है कि सूचक द्वारा अपीलार्थी को 6 नामित और 3-4 अज्ञात व्यक्ति में से एक के रूप में नामित करके उसे गलत तरीके से फंसाने का हर कारण है क्योंकि अपीलार्थी ने महेंद्र यादव (सूचक के चाचा) और अशोक यादव, जो सूचक के चचेरे भाई हैं, से एक जमीन खरीदी थी, जिसके लिए पिछला भूमि विवाद चल रहा था। वास्तव में, सूचक और उसके चचेरे भाई अशोक यादव के पक्ष में भूमि वापस करने के लिए पुरज़ोर दबाव डाल रहे थे, जो अपीलकर्ता और अन्य अभियुक्तों को झूठे मामले में फंसाने का मुख्य साजिशकर्ता है।

10. यह भी दलील दिया जाता है कि अनुसंधान कर्ता द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, अपीलार्थी लक्ष्मी यादव को घटना के तुरंत बाद उसी गाँव में स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया था, जो कि सामान्य आचरण नहीं है क्योंकि यदि कोई ऐसी घटना में भाग लेता है तो बच निकलना या भाग जाना सामान्य आचरण होगा।

11. 2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) संख्या 262 में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नागेंद्र कुमार सिंह ने भी दो अन्य आपराधिक अपीलों में उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए दलील को अपनाया है। हालाँकि, विद्वान अधिवक्ता आगे दलील देते हैं कि प्राथमिकी में, अपीलार्थी के खिलाफ विशिष्ट आरोप यह है कि उसने पाँच अन्य नामित अभियुक्तों और 3-4 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मोटरसाइकिल चला रहे मृतक बीरेंद्र यादव और पीछे बैठे बिरजू यादव पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस प्रकार, अपीलार्थी कृष्ण कुमार यादव उर्फ बरकू यादव के खिलाफ सामान्य और सर्वव्यापी आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अ.सा.-1 के अनुसार, बरकू यादव और पप्पू यादव ने बिरजू यादव पर गोली चलाई। अपीलार्थी ने बिरजू यादव की आंख के नीचे और नाक के पास गोली चलाई। उक्त साक्षी ने घटना को एक *लग्गा* दूरी से देखा था और कहा था कि गोलीबारी निकट दूरी से की गई थी।

हालांकि, अ.सा..-7 (चिकित्सक), जिन्होंने बिरजू यादव के शव का *अन्त्य परीक्षण* किया था, ने कहा है कि आंख के नीचे निकास का एक घाव है जो पूरे अभियोजन मामले को ध्वस्त कर देता है। यह भी दलील दिया जाता है कि चिकित्सा साक्ष्य तथाकथित चश्मदीद साक्षियों के संस्करण का समर्थन नहीं करते हैं। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने न तो मृतक के खून से सने कपड़ों का प्रदर्शन किया है और न ही घटनास्थल से एकत्र की गई खून से सने मिट्टी का। इस स्तर पर, अ.सा.-7 (चिकित्सक) के बयान से यह भी बताया गया है कि सभी प्रवेश घाव मृतक के पीछे से हुए थे, जो इंगित करता है कि मृतक व्यक्तियों की हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई थी, न कि घटना के कथित स्थान पर।

12. इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, जिसके बावजूद आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया गया है और इसलिए, इसे निरस्त और रद्द किया जाए।

**सूचक और राज्य की ओर से दलीलें :-**

13. दूसरी ओर, सूचक की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया है। विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से दलील देते हैं कि विचाराधीन घटना के चार चश्मदीद साक्षी हैं और उस स्थान पर उक्त साक्षियों की उपस्थिति काफी स्वाभाविक थी। यह भी दलील दिया जाता है कि उपरोक्त सभी साक्षियों से विस्तार से प्रति-परीक्षण की गई है। हालाँकि, बचाव पक्ष किसी भी भौतिक विरोधाभास को इंगित करने में सक्षम नहीं है जिससे चार चश्मदीद साक्षियों के बयान की सत्यता को पूरी तरह से खारिज किया जा सके।इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने घटना के स्थान और समय, घटना के तरीके और घटना के स्थान पर अभियुक्त व्यक्तियों की उपस्थिति को साबित किया है। विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त मामले के समर्थन में उपरोक्त चार चश्मदीद साक्षियों के बयान का उल्लेख किया है। यह भी दलील दिया जाता है कि अ.सा.-3 और अ.सा.-4 की उपस्थिति, जो आसपास के निवासी हैं, पर भी संदेह नहीं किया जा सकता है और उक्त साक्षियों को संयोग साक्षी नहीं कहा जा सकता है। उक्त दलील के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने अ.सा.-4 के बयान के कंडिका -1,33,5,6,8,29,39 और 59 का उल्लेख किया है।

14. सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भर किया हैः

(i) **गुलाब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 12 एस. सी. सी. 677** में प्रतिवेदित ।

(ii) **राजेश यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 12 एस. सी. सी. 200** में प्रतिवेदित ।

(iii) **विजेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2017) 11 एस. सी. सी. 129** में प्रतिवेदित ।

15. इसके बाद, सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने अ.सा.-7 (चिकित्सक) द्वारा दिए गए बयान को संदर्भित किया है, जिन्होंने दो मृतकों का *अन्त्य परीक्षण* किया था। यह दलील दिया जाता है कि मृतक बिरजू यादव की मौत का कारण गोली लगना है, जबकि उक्त साक्षी को मृतक बीरेंद्र यादव के शरीर में चार गोलियों के घाव मिले हैं। चिकित्सक ने विशेष रूप से राय दी है कि मौत का कारण आग्नेयास्त्र के घाव हैं। इस प्रकार, केवल इसलिए कि बीरेंद्र यादव की घाव संख्या 1 के संबंध में कुछ विसंगति थी और बिरजू यादव को केवल एक गोली लगी थी, अभियोजन पक्ष के पूरे साक्ष्य को उपरोक्त आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। उक्त विसंगति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यह भी दलील दिया जाता है कि न्यायालय चश्मदीद साक्षियों द्वारा दिया गए साक्ष्य को प्राथमिकता दे सकता है। उक्त दलील के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित दो निर्णयों पर निर्भर किया हैः-

(i) र**मेशजी अमरसिंह ताकोर बनाम गुजरात राज्य, (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1321** में प्रतिवेदित ।

(ii) **दरबारा सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एस. सी. सी. 476** में प्रतिवेदित ।

16. विद्वान अधिवक्ता आगे दलील देते हैं कि भले ही एक भी घाव साबित हुई हो और अन्य घाव साबित नहीं हुए हों, फिर भी सभी अभियुक्तों की दोषसिद्धि के लिए यही पर्याप्त है क्योंकि उन पर भा.दं.वि की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराधों के लिए आरोप लगाया गया है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों को उपरोक्त अपराधों के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया है। विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भर किया हैः-

(i) **राम नरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2024) 1 एस. सी. सी. 443** में

प्रतिवेदित ।

(ii) **विजेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2017) 11 एस. सी. सी. 129** में प्रतिवेदित ।

17. सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दिया कि केवल इसलिए कि अ.सा.-8 (अनुसंधान कर्ता) द्वारा दिए गए बयान में मामूली विसंगतियां हैं, यह अभियोजन पक्ष के अन्य साक्ष्य को रद्द नहीं करेगा। विद्वान अधिवक्ता ने अनुसंधान कर्ता (अ.सा.-8) के बयान को संदर्भित किया और उसके बाद दलील दिया कि वह घटना के स्थान और घटना के समय का समर्थन करता है। इसके अलावा, अनुसंधान कर्ता लक्ष्मी यादव को गिरफ्तार करने के लिए घटनास्थल से आगे बढ़े और उसके बाद आरोपी कुंदन सिंह के पास पहुंचे जिसके लिए स्पष्टीकरण दिया गया है। यह दलील दिया जाता है कि न्यायालय का कर्तव्य सत्य को असत्य से अलग करना है न कि आंशिक रूप से विश्वसनीय साक्षी की गवाही को पूरी तरह से अस्वीकार करना है। विद्वान अधिवक्ता ने **अमृता उर्फ अमृतलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2004) 12 एस. सी. सी. 224** में प्रतिवेदित के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर निर्भर किया है।

18. विद्वान अधिवक्ता आगे दलील देते हैं कि केवल इसलिए कि अभियुक्त कुंदन कुमार सिंह को सोनवर्षा से गिरफ्तार किया गया है, जहाँ कुछ पारिवारिक समारोह हो रहे थे, यह अपने आप में इस संभावना से इनकार नहीं करता कि उक्त अभियुक्त सभी संभावनाओं में घटनास्थल पर मौजूद नहीं हो सकता था । इसलिए, *अन्यत्र उपस्थिति* की याचिका अभियुक्त की सहायता में नहीं आएगी। उक्त दलील के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भर किया हैः-

(i) **कमल प्रसाद और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य), (2023) 10 एस. सी. सी. 172** में प्रतिवेदित ।

(ii) **विजय पाल बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार), (2015) 4 एस. सी. सी. 749** में प्रतिवेदित ।

19. इसलिए विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष ने सभी अपीलार्थियों/दोषियों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और इसलिए, विचरण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय कोई त्रुटि

नहीं किया है। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने, आग्रह किया कि इन सभी अपीलों को खारिज कर दिया जाए।

20. उत्तरदाता -राज्य के विद्वान स.लो.अ. ने भी सूचक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी दलीलों को अपनाया है और आग्रह किया है कि इन सभी अपीलों को खारिज कर दिया जाए।

**मौखिक साक्ष्य का विश्लेषणः-**

21. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य का भी अवलोकन किया है और प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य का भी अवलोकन किया है।

22. इस स्तर पर, हम अभियोजन पक्ष द्वारा विचरण न्यायालय में पेश किए गए सभी साक्ष्यों के प्रासंगिक अंश का मूल्यांकन करना करना चाहेंगे।

23. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 8 साक्षियों का परीक्षण किया।

24. अ.सा.-1 राजेश कुमार यादव ने अपने मुख्य परीक्षण, में कहा है कि यह घटना 16 फरवरी, 2016 को लगभग 07:00 बजे सुबह हुई थी। उस दिन 06 :00 बजे सुबह, वह सिरसिया गांव के चौराहे पर पहुंचे। छह लोग हाथों में हथियार लिए खड़े थे। कुंदन सिंह, बारकू यादव, लक्ष्मी यादव उर्फ भटियाल यादव, पप्पु यादव, मंगल यादव, सुशील यादव सभी के हाथों में पिस्तौल जैसे हथियार थे।बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव मोटरसाइकिल पर उनके आगे थे और दूसरी मोटरसाइकिल पर वह ललित यादव के साथ थे। बीरेंद्र यादव की मोटरसाइकिल डेढ़ *लग्गा* की दूरी पर थी। बीरेंद्र यादव मोटरसाइकिल चला थे और उनके पीछे बिरजू यादव बैठे थे। कुंदन सिंह ने बीरेंद्र यादव को रोका और उससे कहा कि उन्होंने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, वह अभी उसे मार देगा ।कुंदन सिंह ने बीरेंद्र यादव को उसके दाहिने कनपटी में गोली मार दी और अन्य सभी बदमाश भी बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव पर गोलियां चलाते रहे। बीरेंद्र यादव को मारने के बाद, कुंदन सिंह ने उसे उल्टा करके देखा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मर गया है या नहीं। उसने एक बार फिर उसकी पीठ में गोली मार दी और सभी अभियुक्तों को भागने के लिए कहा।इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वे सोनवर्ष *कचहरी* जा रहे हैं ।घटना के दस मिनट बाद थाना प्रभारी . वहाँ आये जहाँ ललित

यादव ने पुलिस के सामने बयान दिया और साक्षी के रूप में *फर्दबयान* पर हस्ताक्षर भी किए। वह इसकी पहचान करता है और इसे प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित किया गया है। दंडाधिकारी के सामने उनका बयान भी दर्ज किया गया।उन्होंने दंडाधिकारी के सामने भी यही बयान दिया।वह बयान पर अपने हस्ताक्षर की पहचान करता है जिसे प्रदर्श-2 के रूप में चिह्नित किया गया है।

24.1. अपनी प्रति- परीक्षण में उसने कहा है कि उसका बयान 16 फरवरी, 2016 को घटनास्थल पर पुलिस के समक्ष दर्ज किया गया था। अवर निरीक्षक के समक्ष बयान देने के बाद उन्होंने दंडाधिकारी के समक्ष अपना बयान दिया। वह सुबह 7:00 बजे घटनास्थल पर पहुंचा। वह चेचानी में अपने घर से सिरसिया गाँव के चौराहे पर पहुँचा और देखा कि वहाँ छह लोग हाथों में हथियार लिए खड़े थे। बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव मोटरसाइकिल पर सवार थे।बीरेंद्र यादव मोटरसाइकिल चला रहे थे और बिरजू यादव उनके पीछे बैठे थे। कुंदन सिंह ने बीरेंद्र यादव को रोका और उससे कहा कि चूंकि उसने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, इसलिए वह उसे तुरंत मार देगा। कुंदन सिंह ने बीरेंद्र यादव को उसके कनपटी पर गोली मार दी और अन्य सभी बदमाश भी बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव पर गोलियां चलाते रहे। बीरेंद्र यादव को मारने के बाद, कुंदन सिंह ने उसे उल्टा करके देखा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मर गया है या नहीं। उसने एक बार फिर उसकी पीठ में गोली मार दी और सभी अभियुक्तों को भागने के लिए कहा। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वे सोनवर्ष *कचहरी* जा रहे हैं ।उन्होंने आगे कहा है कि बीरेंद्र यादव और बिरजू रिश्तेदार थे और एक ही मोटरसाइकिल पर थे। सिरसिया गाँव के चौराहे पर दस लोग थे। घटना स्थल से एक किलोमीटर दूर एक नदी है, जिसे पार करने के बाद वह वहां पहुंचा था । गोलीबारी के समय उन्होंने गोलियों की गिनती की थी। बीरेंद्र यादव को पांच गोलियां लगी थीं। कुंदन सिंह, बारकू यादव, लक्ष्मी यादव, पप्पु यादव, मंगल यादव और सुशील यादव ने उसे गोली मारी थी। सभी छह लोगों ने एक साथ गोली चलाई थी। बरकू यादव और पप्पु यादव ने बिरजू यादव पर गोली चलाई थी । बरकू यादव ने बिरजू यादव को उसकी आँखों के नीचे उनकी नाक के पास गोली मारी थी। उसने इस घटना को एक *लग्गा* की दूरी पर देखा। **गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई थी**। बरकू यादव की गोली अंदर अटक गई और खून निकल आया। बिरजू यादव पर दो गोलियां चलाई गईं।एक गोली बरकू यादव ने चलाई थी और दूसरी गोली पप्पू यादव ने चलाई थी। पप्पू यादव ने भी उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी थी । इसके अलावा, उन्होंने कहा है कि मृतक को गोली लगने के बाद, वह पास गया

और देखा कि गोली लगने के कारण एक छेद था और जिससे उसने खून बहते देखा। जिस स्थान पर उन्हें गोली लगी थी, वहाँ एक काला निशान था। उसने आगे कहा है कि वह मोटरसाइकिल से नीचे उतरा और उक्त घटना को देखा। उन्होंने आगे कहा कि बीरेंद्र यादव उनके गाँव से हैं और बिरजू यादव के रिश्तेदार हैं।वह घटनास्थल पर आधे घंटे तक रहा । उसके घर से घटनास्थल तक पहुँचने में एक घंटा लगता है। वर्ष 2006 में उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था जो एक झूठा मामला था। उसने आगे कहा है कि उसने घटनास्थल पर खून के धब्बे देखे थे । लगभग 2 फीट की दूरी पर खून फैला हुआ था।शव खून से लथपथ पड़े थे। दो मृत व्यक्तियों के बीच की दूरी केवल एक फुट थी और वे दोनों मृत पड़े थे। घटना के दिन उन्होंने नाव से *घाट* पार किया। उसने आगे कहा है कि वह 06:00 बजे सुबह  अपने घर से निकला और वह और ललित एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। उसे याद नहीं है कि वह घटनास्थल पर कितने समय तक रहा था। प्रशासन घटना के दस मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचा। उनके गाँव के लोगों ने याचिका लिखवाई। इसके बाद उसने हस्ताक्षर किए। अवर निरीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे और शव को ले गए । वह शव के साथ थाना गया था।उसने आगे कहा है कि ललित यादव उसके गाँव से हैं लेकिन वे संबंधित नहीं हैं। ललित यादव मृतक बीरेंद्र यादव का चचेरा भाई है।

25. अ.सा.-2 ललित यादव मामले का सूचक है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि यह घटना 16.02.2016 को लगभग 07:00 बजे सुबह  हुई थी। उस समय वे दो मोटरसाइकिलों पर चेचानी से बिथान जा रहे थे। बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव सामने की मोटरसाइकिल पर थे और वह और राजेश यादव पीछे की मोटरसाइकिल पर थे। जब वे सिरसिया चौराहा पर पहुँचे, बीरेंद्र यादव की मोटरसाइकिल डेढ़ *लग्गा* की दूरी पर थी। सिरसिया चौराहे पर छह आदमी हाथों में हथियार लिए खड़े थे। कुंदन सिंह ने बीरेंद्र यादव का वाहन रोका और अपमानजनक भाषा में कहा कि चूंकि उसने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, इसलिए वह उसी दिन उसे गोली मार देगा। कुंदन सिंह ने बीरेंद्र यादव के माथे पर गोली मारी और उसे लगातार गोली मारता रहा । लक्ष्मी यादव, बारकू यादव, पप्पु यादव, सुशील यादव और मंगल यादव ने बीरेंद्र और बिरजू दोनों को पीठ, माथे और बांह पर गोली मारी। दोनों मोटरसाइकिल से गिर गए। गिरने के बाद, कुंदन सिंह ने बीरेंद्र यादव को लात मारकर हिलाने की कोशिश की और फिर उसने बीरेंद्र यादव की पीठ में गोली मार दी। उनके भागने के बाद, उसने देखा कि दोनों आदमी मर चुके थे। बिथान थाना के मुख्य लिपिक 10-15 मिनटों के बाद वहाँ आए और उसका बयान लिया। उसके हस्ताक्षर *फर्दबयान*  पर हैं

जिसे प्रदर्श-1/1 के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके बाद शव को *अन्त्य परीक्षण* के लिए भेज दिया गया। उसका बयान पुलिस में और दंडाधिकारी जिन्हें वह पहचानता है, के सामने न्यायालय में भी दिया गया था और जिसे प्रदर्श-2/1 के रूप में चिह्नित किया गया है।

25.1. अपनी प्रति- परीक्षण में उसने कहा है कि वह नर्पा *पंचायत* का उप प्रमुख है। वह अशोक यादव को पहचानता है।अशोक यादव उसके चचेरे भाई हैं। पुलिस ने ग्लैमर वाहन को जब्त कर लिया जिसे बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव चला रहे थे। कहा जाता है कि बीरेंद्र यादव उसका चचेरा भाई था और बिरजू उसका रिश्तेदार था। घटना के दिन, उसने चेचानी घाट को पार किया जो करेह नदी पर है। लोग इसे नाव से पार करते हैं। नाव पर वाहनों को भी लादा जाता है। अपने बयान में उसने हथियारों के साथ खड़े कुछ लोगों के बारे में बात नहीं की थी, बल्कि उसने सभी छह अभियुक्त व्यक्तियों के नाम बताए थे। पुलिस के समक्ष अपने बयान में, उसने आरोपी बरकू यादव पर कोई घटना करने का आरोप नहीं लगाया था, बल्कि उसने उस स्थान पर बरकू यादव की उपस्थिति के बारे में तथ्य बताया था। उसने आगे कहा है कि वह कुंदन सिंह को लगभग तीन साल से जानता था ।बाद में, उसने कहा कि जब उसने मृतक व्यक्तियों को देखा, तो लोग अपने दरवाज़ों पर थे। घटनास्थल पर बीरेंद्र यादव ने सफेद रंग की फुल पैंट, सफेद और लाल रंग के जूते और मोजे, सफेद रंग की बनियान और सफेद रंग की कमीज पहनी हुई थी और कमर में काली बेल्ट पहनी हुई थी। बिरजू यादव ने सफेद रंग की फुल पैंट और सफेद रंग की शर्ट और क्रीम रंग की बेल्ट पहनी हुई थी और पैरों में लाल और सफेद रंग की सैंडल पहनी हुई थी। दोनों मृतक व्यक्तियों के सिर सड़क से पश्चिम की ओर थे और उनके कपड़े खून से लथपथ थे। उसके बयान के बाद, अवर निरीक्षक शवों को *अन्त्य परीक्षण* के लिए ले गए । वह अवर निरीक्षक के साथ नहीं गया, बल्कि वह रोने लगा। अवर निरीक्षक ने सिरसिया चौराहे पर उसका बयान दर्ज किया।घटनास्थल से थाना की दूरी 1 1/2-2 किलोमीटर थी। अवर निरीक्षक लगभग 07:10 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। कहा जाता है कि गोली लगने के बाद बीरेंद्र और बिरजू वाहन से गिर गए।जब वे गिरे तो वाहन बीच सड़क पर गिर गया। जिस समय दोनों मृतक मोटरसाइकिल से गिरे थे, उस समय उनके पास छह आरोपी व्यक्ति थे। गोली पॉइंट ब्लेंक रेंज की दूरी से अंधाधुंध चलाई गई थी। वह नहीं बता सकता कि कितनी गोलियां चलाई गईं।सभी गोलियां मृतक व्यक्तियों के शवों पर लगीं थीं । उन्होंने घटना स्थल पर एक खाली कारतूस देखा जिसे मुख्य लिपिक ने बरामद किया था। 6-7 खाली कारतूस घटना स्थल से बरामद किए गए। अपने *फर्दबयान* में उसने अवर निरीक्षक से कहा था कि

वे पी. ए. सी. एस. की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। अपने *फर्दबयान* में, उसने कुंदन सिंह के हसनपुर जाने के बारे में नहीं कहा था। उसने अवर निरीक्षक को बताया था कि आरोपी व्यक्ति दो मोटरसाइकिलों पर पश्चिम की ओर भाग गए और कुंदन सिंह सोनवर्ष की ओर भाग गया। उसने खेतों की सिंचाई नहीं करने के लिए लक्ष्मी यादव के खिलाफ दो मामले दर्ज कराए थे। एक यह घटना है और दूसरी जबरन वसूली की घटना है।

26. अ.सा.-3 बिनोद मुखिया ने बयान दिया था कि घटना के दिन जब वह सिरसिया चौमर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि कुंदन सिंह, पप्पु यादव, बारकू यादव, सुशील यादव, भटियाल यादव और मंगल यादव अपने हाथों में हथियार लेकर खड़े थे। वह डर के मारे रुक गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं। उस समय, कुंदन सिंह ने उन्हें रोक दिया। कुंदन सिंह ने अन्य लोगों के साथ अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उक्त गोलीबारी के कारण बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव गिर गए।हंगामा सुनकर कुंदन सिंह पूर्व की ओर भाग गया और कुछ लोग पश्चिम की ओर भाग गए। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने 7 गोलियों के कारतूस , खून से लथपथ मिट्टी और एक काले रंग की मोटरसाइकिल बरामद की। एक जब्ती सूची बनाई गई, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए।

26.1. अपनी प्रति- परीक्षण में उसने कहा है कि वह लक्ष्मी यादव के बेटे के बारे में जानता है जो गाँव से भाग गया था। कहा जाता है कि उसने हत्या की थी, इसलिए वह भाग गया था। वह उस मामले में साक्षी है। उस मामले में न्यायालय में गवाही दी है। उसने कहा है कि उसके साथ भी यही घटना घटी है। उसे मामले में एक नोटिस मिला था लेकिन उसे मामले की संख्या याद नहीं है। वह सब्जियाँ खरीदने के लिए बिथान *बाज़ार* गया था। उसने आगे कहा है कि यह मामला नहीं है कि लक्ष्मी यादव उस जमीन के मालिक हैं जिसे उसने महेंद्र यादव के नाम पर पंजीकृत किया था ।इस मामले में अशोक यादव और सूचक ने जमीन वापस करने के लिए दबाव डाला था । जब लक्ष्मी यादव ने जमीन वापस करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने साजिश रची और उसे झूठे मामले में फंसाया। यह सच है कि, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि वह सिरसिया *चौक* चौराहे पर पहुंचे और जब उन्होंने हथियारबंद लोगों को देखा, तो वह छिप गए । उन्होंने इस घटना को 2 *लग्गा* की दूरी से देखा। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने देखा कि उससे पहले चार लोग वहाँ पहुँच चुके थे।पहले ललित यादव वहाँ पहुँचे, फिर राजेश यादव और फिर वे वहाँ पहुँचे।वह अपने बाद आने वाले लोगों के नाम नहीं बता सके।कहा जाता है कि वह गाय के सूखे गोबर

के ढेर के पीछे छिप गया था, लेकिन जब वह बाहर आया तो हत्यारे भाग गए थे।उसने आगे कहा है कि उसने पौने छह बजे अपना गाँव छोड़ दिया था। उसका गाँव सिरसिया *चौराहा* से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर है। उसने कहा था कि उसे सिरसिया गांव तक पहुंचने के लिए 300 फीट की दूरी पर एक नदी पार करनी होती है। उसने नाव से नदी पार की। चूंकि उस समय नाविक नहीं था, इसलिए उसने खुद नाव चलाई। वह यह नहीं बता सकता कि नदी पार करने के बाद *चौमर* पहुंचने में कितना समय लगा, क्योंकि उसके पास घड़ी नहीं थी। वह *चौमर* पहुँचा, उसने किसी से समय के बारे में नहीं पूछा लेकिन उसने अनुमान लगाया कि 07:00 बजे होंगे । *चौमर* में रहने के दौरान उसने केवल ललित यादव और राजेश यादव को देखा और किसी और को नहीं देखा। यह कहा जाता है कि वह मजदूरी का काम नहीं करता है और वह लगभग 10 वर्षों से अशोक यादव के ट्रैक्टर और निजी वाहन का चालक था।

27. अ.सा.-4 गोपाल यादव ने बयान दिया था कि घटना के समय वह सिरसिया गांव की ओर जा रहे थे। जब वह सिरसिया गांव के *चौमर* पहुंचे, तो उसने थोड़ी दूर से देखा कि छह लोग हथियारों से लैस खड़े थे। बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव सिरसिया बांध के किनारे से मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। जब वह *चौमर* पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कुछ लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। कुंदन, बरकू यादव और भटियाल यादव वहाँ थे लेकिन वह बाकी तीन के नाम नहीं जानते। गोली लगने से बीरेंद्र और बिरजू की मौत हो गई। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।उसके बाद, थाना प्रभारी वहाँ आए और *पंचनामा* तैयार किया और उन्होंने दोनों *पंचनामे* पर हस्ताक्षर किए। *दारोगाजी* के सामने उसका बयान दर्ज किया गया था। जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने पाया कि वहां कोई और नहीं था, लेकिन लोग दूर खड़े थे। उसने कहा था कि वह तय समय से एक घंटा देर से घर पहुँचा। वह बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव को जानता था।वह उनके समूह का सदस्य नहीं है। बीरेंद्र की भाभी *प्रमुख* थीं। वह नहीं जानता कि उसके भाई का नाम अशोक यादव था।

27.1.अपनी प्रति- परीक्षण में, उसने कहा है कि उसके तीन बेटे हैं जो खेती करते हैं और गाँव में रहते हैं और उसकी एक बेटी है जिसकी शादी राकेश कुमार रवि से हुई है। उसका दामाद एक शिक्षक है जो चेचानी स्कूल में तैनात है। कहा जाता है कि उसका पहला पद चेचानी में ही था। उन्होंने आगे कहा है कि घटनास्थल उनके घर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। घटना के दिन, लगभग 07:00 बजे सुबह, वह अपने घर की ओर जा रहा था।

28. अ.सा.-5 राजेश कुमार सिंह सहायक अवर निरीक्षक हैं। उन्होंने बिथान थाना के मुख्य लिपिक के आदेश पर बिथान कांड संख्या 14 /2016 में सील बंद अवस्था में सामग्री की प्रदर्श प्रस्तुत की।

29. अ.सा.-6 मिथिलेश कुमार सिंह पुलिस लाइन, समस्तीपुर में सार्जेंट मेजर के पद पर 16.04.2016 को तैनात थे। उस दिन, अ.मु.न्या.दं., रोज़ेरा के आदेश के अनुसार, उन्होंने बिथान कांड सं. 14/2016 में प्रदर्शित सामग्री को जब्त कर लिया, जिसे सीलबंद पैकेट में जाँच के लिए उनके सामने प्रस्तुत किया गया था। उक्त पैकेट को खोलने पर उन्हें 9 मिमी की सात गोलियों के कारतूस मिले। जाँच के बाद, सभी गोलियों के कारतूसों को ए, ए1 से ए6 के रूप में चिह्नित किया गया था। सभी गोलियों के कारतूस कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं और उनके नीचे ठीक और के. एफ. चिह्नित होते हैं। सभी गोली के खोल 9 मिमी कैलिबर के हैं। **अनुसंधान प्रतिवेदन** उसके द्वारा मुद्रित रूप में भरा और हस्ताक्षरित किया जाता है, जिसे वह पहचानता है और इसे प्रदर्श-3 के रूप में चिह्नित किया गया है।

30. अ.सा.-7 बीरेंद्र प्रसाद राय 16.02.2016 को सदर अस्पताल, समस्तीपुर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उसी दिन, 3:00 बजे अपराह्न में, उन्होंने सदर अस्पताल, समस्तीपुर के पर्यवेक्षक डॉ. आर. सी. एस. वर्मा की उपस्थिति में बिरजू यादव के शव का *अन्त्य परीक्षण* किया और निम्नलिखित *पूर्व-अन्त्य परीक्षण* घाव पाए -

"<u>बाहरी घाव :</u>

प्रवेश घावः- खोपड़ी के पिछले हिस्से में पश्चकपाल क्षेत्र में उल्टे किनारे वाला एक गोल घाव पाया गया जिसका व्यास 1 सेमी था और पश्चकपाल हड्डी में फ्रैक्चर था, गुहा गहरी थी।

निकास घावः- बाईं आँख के नीचे एक कटी हुई चोट पाई गयी जिसका किनारा लगभग 1.25 सेमी व्यास का था।

विच्छेदन परः सभी आंतें पीली पड़ गई थीं।

मस्तिष्क में कटी हुई चोटें थीं।

खोपड़ी की गुहा खून से भरी हुई थी।

मृत्यु के बाद से बीता समय-36 घंटों के भीतर। क्योंकि

मरणोत्तर कठोरता मौजूद थी।

मृत्यु का कारण रक्तस्राव और आघात था, जो आग्नेयास्त्र से हुई उपरोक्त चोट के कारण हुआ था।”

31. उसी दिन बीरेंद्र यादव का शव लाया गया और 02:35 बजे दोपहर में, उनके शव का *अन्त्य परीक्षण* सदर अस्पताल, समस्तीपुर के पर्यवेक्षक डॉ. आर. सी. एस. वर्मा की उपस्थिति में किया गया और निम्नलिखित *पूर्व-शव परीक्षण* घाव पाई गईः-

“बाहरी घावः

1. खोपड़ी के बाईं ओर अग्र भाग में 3”x1” x मांसपेशी गहराई में एक कटी हुई चोट पाई गई।

2. प्रवेश घावः- बाईं ऊपरी बांह के पिछले हिस्से पर एक कटी हुई चोट पाई गई।

आकार-गोल आकार, 1 सेमी व्यास, उल्टे मार्जिन के साथ।

निकास घावः बायीं भुजा के बाईं ओर कटी हुई चोट उलटे किनारे के साथ, अंडाकार आकार, लगभग 1.25 सेमी व्यास।

3. प्रवेश घावः खोपड़ी के पिछले हिस्से में पश्चकपाल क्षेत्र में एक कटी हुई चोट उल्टे और अनियमित किनारे के साथ मौजूद थी, आकार गोल था और पश्चकपाल हड्डी में फ्रैक्चर था जिसका व्यास लगभग 1 सेमी था।

निकास घावः खोपड़ी के बाईं ओर मध्य भाग में एक उलटे किनारे के साथ एक कटी हुई चोट मौजूद थी।

आकार-अंडाकार, व्यास में लगभग 1.25 सेमी।

4. प्रवेश घावः धड़ के पिछले हिस्से के मध्य भाग में कशेरुकाओं के दाहिनी ओर कटी हुई चोट मौजूद थी,उल्टे और अनियमित किनारे गोल आकार के थे, गुहा की गहराई की व्यास लगभग 1 सेमी थी।

पेट के दाहिनी ओर त्वचा के नीचे एक गोली पायी गई।

5. प्रवेश घावःधड़ के पिछले हिस्से के उपरोक्त ी हिस्से में कशेरुकाओं के दाहिने हिस्से पर एक उलटे किनारे वाली चोट पाई गई, जिसका आकार गहरा और गोल था, जिसका व्यास लगभग 1 सेमी था।

निकास : छाती के दाहिने हिस्से पर एक उलटे किनारे वाला 1.25 सेमी व्यास का, अंडाकार आकार का घाव।

विच्छेदन परःसभी आंतें पीली पड़ गई थीं।

छाती की गुहा और पेट की गुहा खून से भरी हुईं ।

मृत्यु के बाद से बीता समय-36 घंटों के भीतर। क्योंकि मरणोत्तर कठोरता मौजूद थी।

मृत्यु का कारण रक्तस्राव और आघात था जो आग्नेयास्त्र से लगी उपरोक्त चोटों सिवाय चोट संख्या 1 के के कारण हुआ था। ”

32. एक गोली बरामद की गई जिसे सीलबंद शीशी के साथ सहायक अवर निरीक्षक , बिथान थाना के सी. के. सिंह को सौंप दिया गया और उनके द्वारा विधिवत भेजा गया। *अन्त्य परीक्षण* प्रतिवेदन हस्ताक्षर है और सदर अस्पताल के पर्यवेक्षक डॉ. आर. सी. एस. वर्मा द्वारा भी हस्ताक्षरित है जिसे पहचान पर प्रदर्श 4 और 4/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ।

32.1. अपनी प्रति- परीक्षण में, उन्होंने कहा है कि विच्छेदन *अन्त्य परीक्षण* में किया जाता है। उनके निर्देश पर उनकी कर्मचारी श्रीमती मंजू देवी द्वारा विच्छेदन किया गया था। ।उन्होंने आगे कहा है कि जिस बिंदु पर गोली अंदर जाती है उसे 'प्रवेश' कहा जाता है और जिस बिंदु से यह निकलती है उसे 'निकास' कहा जाता है। वे दोनों घावों के मार्जिन के आधार पर अनुमान लगाते हैं। उन्हें प्रवेश घाव पर कोई कालापन, टैटू बनाने और जलने का निशान नहीं मिला था। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले में गोली 7 फीट से अधिक की दूरी से चलाई गई थी। वह यह नहीं बता सकते कि मृतक बीरेंद्र यादव को पहली घाव कहाँ से लगी थी। उन्होंने अपनी *अन्त्य परीक्षण* प्रतिवेदन में मार्जिन को अनियमित नहीं बताया था क्योंकि विघटित घाव का निर्णय अनियमित मार्जिन के आधार पर किया जाता है। उन्होंने अपनी प्रति- परीक्षण के कंडिका -46 में आगे स्वीकार किया है कि घाव संख्या 1 रॉड से संभव होगी और यह कठोर और कुंद हथियार से भी संभव हो सकता है।

33. अ.सा.-8 रंजीत कुमार इस मामले के अनुसंधान कर्ता हैं। घटना के समय वह थाना प्रभारी, बिथान के रूप में कार्यरत थे। *फर्दबयान* उनके द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित है जो प्रदर्श-1/2 के रूप में चिह्नित है। जब्त सूची बड़े लाल प्रसाद द्वारा तैयार की गई थी जिसे प्रदर्श-5 के रूप में चिह्नित किया गया है और जिस पर बिनोद मुखिया और बबलू मुखिया के हस्ताक्षर हैं । कहा जाता है कि छापे के दौरान वह चेचानी गांव गए और लक्ष्मी यादव उर्फ भोटियाल यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसे पता चला कि आरोपी कुंदन सिंह सहारसा में है इसलिए टीम के साथ वह सहारसा जिले के सोनवर्षा थाना पहुंचे और कुंदन सिंह को उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया। फिर गिरफ्तार आरोपी को समस्तीपुर लाया गया, जहाँ उसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए रखा गया। उसके बाद, उसने लक्ष्मी यादव उर्फ भोटियाल और कुंदन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के बाद, घटनास्थल से जब्त की गई वस्तुओं की जांच की गई और अनुसंधान प्रतिवेदन प्राप्त की गई। मृतक बिरजू यादव और बीरेंद्र यादव की अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त की गई और इसका उल्लेख दैनिकी में किया गया। आरोपी कुंदन कुमार सिंह का आपराधिक इतिहास प्राप्त किया गया और वाद दैनिकी में दर्ज किया गया। वाद दैनिकी में बारकू यादव का आपराधिक इतिहास दर्ज किया गया।पप्पु यादव का आपराधिक इतिहास दैनिकी में दर्ज किया गया।

33.1. अपनी प्रति- परीक्षण में, उसने कहा है कि वह लगभग एक घंटे तक घटनास्थल पर रहे । उन्होंने *फर्दबयान* दर्ज किया। उन्होंने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया। यह कहा गया है कि कथित घटना के संबंध में प्राथमिकी उसी दिन 03:30 बजे अपराह्न को दर्ज किया गया था। घटना के दिन उन्हें घटना के बारे में पता चला।उन्होंने सहरसा से कुंदन कुमार सिंह और बड़े लाल सिंह को गिरफ्तार किया। उन्हें सहरसा के सोनबरसा थाना से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने 16.02.2016 को 07: 30 बजे सुबह वर्तमान मामले की जांच शुरू की। सूचना प्राप्त करने के समय का उल्लेख वाद दैनिकी में किया गया है जो लगभग 06: 00 बजे सुबह या 06:20 बजे सुबह है। जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही बड़ी भीड़ जमा थी। उन्होंने 16.02.2016 को जाँच का प्रभार संभाला और 02.07.2016 को इसे पूरा करने के बाद, इसे आगे की जाँच के लिए सहायक अवर निरीक्षक, बिथान को सौंप दिया क्योंकि उन्हें निलंबित कर दिया गया था। शेखर बाबू तत्कालीन थाना प्रभारी थे। वह लक्ष्मी यादव को गिरफ्तार

करने के लिए घटनास्थल से चला गया था, जिसका उल्लेख वाद दैनिकी के कंडिका -6 में किया गया है, लेकिन समय का उल्लेख नहीं है। उसने खुद लक्ष्मी यादव को उसके घर से गिरफ्तार किया था। लक्ष्मी यादव ने भागने की कोशिश नहीं की।उन्होंने इस मामले में बिनोद मुखिया का बयान लिया था, जिसका उल्लेख वाद दैनिकी के कंडिका -19 में किया गया है।उसका बयान 17.02.2016 को लिया गया था। जिस स्थान पर ये विवरण लिए गए थे, उसका उल्लेख वाद दैनिकी में नहीं किया गया था।बिनोद मुखिया ने अपने बयान में जब्ती सूची में साक्षी का उल्लेख नहीं किया। अनुसंधान के दौरान यह पता चला कि मृतक बीरेंद्र यादव और एक अन्य वर्चस्व की लड़ाई में मारे गए थे। कहा जाता है कि वह अशोक यादव को जानते हैं। वह उसे घटना के बाद से जानता है क्योंकि उसका आपराधिक इतिहास उसके थाने में दर्ज है । उन्होंने यह भी कहा कि बीरेंद्र यादव का पंजीकृत आपराधिक इतिहास रहा है। दागे गए कारतुस, खून से सनी मिट्टी और मोटरसाइकिल की जब्ती सूची बडेलाल प्रसाद द्वारा बनाई गई थी और वे जब्ती सूची बनने के बाद ही वहां से गए। उनके मौके पर पहुंचने के बाद जब्ती सूची बनाई गई। उन्होंने जब्त की गई वस्तुओं को 16.04.2016 को ही जांच के लिए भेज दिया। उन्होंने खून से लथपथ मिट्टी को जब्त नहीं किया।खून से लथपथ मिट्टी को किसी प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया था। गिरफ्तारी सूची और गिरफ्तारी ज्ञापन में उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। खून से सनी मिट्टी को फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।मलखाना रजिस्टर देखने के बाद, गोलियों को जांच के लिए सार्जेंट मेजर के पास भेजा गया। जब्ती सूची के कॉलम में तिथि और समय का उल्लेख किया गया है जबकि स्थान का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें याद नहीं है कि अशोक यादव भी इसमें शामिल थे या नहीं। बडेलाल प्रसाद ने उप आरक्षी अधीक्षक की मदद से कुंदन को गिरफ्तार किया। वह सहायक की भूमिका में था इसलिए उन्होंने उसे गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने घटनास्थल के पास रहने वाले अरुण यादव का बयान लिया। उन्होंने कहा कि उनके निर्देश पर सहायक अवर निरीक्षक चंद्रकेतु सिंह द्वारा घटना की तारीख को 08: 30 बजे जाँच प्रतिवेदन तैयार की गई थी। उसने आगे कहा है कि वह प्राथमिकी के पंजीकरण से पहले आरोपी लक्ष्मी यादव उर्फ भोटियाल को गिरफ्तार करने गया था। लक्ष्मी यादव को गिरफ्तार किया गया और टाउन थाना भेजा गया। यह कहा गया है कि वाद दैनिकी के कंडिका -1 में जब्ती सूची के पृष्ठ -5 पर क्रम 5 में 7 खाली कारतूसों की बरामदगी का उल्लेख किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि जब्ती सूची में खून से सने मिट्टी की बरामदगी का भी उल्लेख है, लेकिन उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उस मिट्टी का क्या हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी जांच का प्रभार दे दिया

था। उन्होंने यह भी कहा है कि सी. डी. आर. और सी. ए. एफ. को जांच के लिए सुरक्षित रखा गया था, लेकिन इसकी निगरानी प्रतिवेदन प्राप्त हुई थी या नहीं, यह उन्हें पता नहीं है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने जानबूझकर अभियोजन पक्ष के साथ मिलकर उस प्रतिवेदन को छुपाया था। उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने जानकारी के आधार पर और इसकी सत्यता की पुष्टि किए बिना आपराधिक इतिहास दर्ज किया था। उन्होंने स्वीकार किया है कि 08924931 से शुरू होने वाला पृष्ठांकन संख्या 08924933 के *क्रम के अनुसार* नहीं जो तिथि 16.02.2016 की जब्ती सूची के साथ प्राथमिकी । आंकड़ों के पंजीकरण से संबंधित है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने साक्षी मनोज कुमार का बयान वाद दैनिकी के कंडिका -20 में दर्ज किया था और उसने कहा था कि समस्तीपुर निवासी, कुंदन सिंह, राजकुमार सिंह (उनके बहनोई) के बेटे ऋतुराज सिंह की दूसरी शादी में शामिल होने के लिए 15.02.2016 को 09: 00-10:00 बजे रात में आया था , जिसे सोनबरसा पुलिस की मदद से 16.02.2016 को 12: 30 बजे गिरफ्तार किया गया और समस्तीपुर ले जाया गया था । कंडिका -21 में उन्होंने अवधेश झा का बयान दर्ज किया था ,जिन्होंने इसकी पुष्टि की थी। उन्होंने सिकंदर महतो का बयान भी दर्ज किया, जिन्होंने उपरोक्त संस्करण का समर्थन किया। उक्त संस्करण का समर्थन अन्य लोगों द्वारा भी किया गया है जो अपने बयान दर्ज करने के समय एकत्रित हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि, अपने बयान में, ललित यादव ने कहा कि वह 16.02.2016 को 07:00 बजे सुबह अपने घर से रवाना हुए थे जबकि, *फर्दबयान* में, उन्होंने कहा था कि वे बिथान के लिए रवाना हुए थे। यह आगे कहा गया है कि साक्षी गोपाल यादव ने यह नहीं कहा था कि थाना प्रभारी . ने शवों का *पंचनामा* तैयार किया था और न ही उनकी उपस्थिति में बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव की मृत्यु हुई थी। उन्होंने केवल उन्हें जमीन पर गिरने के बारे में बताया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने न्यायालय के समक्ष आरोपी कुंदन सिंह के पक्ष में सभी सबूत नहीं लाए थे।

34. बचाव पक्ष ने 21 साक्षियों से भी पूछताछ की है, जिनमें से व.सा. 1, 5 और 6 लक्ष्मी यादव उर्फ भोटियाल के नाम पर भूमि की रजिस्ट्री के साक्षी हैं। व.सा. 2, 3, 4 और 7 ने आरोपी कृष्ण कुमार यादव उर्फ बरकू यादव द्वारा की गई ट्रेन यात्रा का विवरण दिया है। व.सा. 8 से 19 ने पुलिस द्वारा आरोपी कुंदन सिंह की गिरफ्तारी के समय, स्थान और तरीके के बारे में बताया है। व.सा. 20 वह चिकित्सक है जिसने आरोपी कुंदन सिंह की मौजूदा स्वास्थ्य की अवस्था और उस बीमारी के लक्षणों को प्रमाणित किया है जिससे वह पीड़ित है। व.सा. 21 एक मुंशी है जिसने कुछ दस्तावेजों को सत्यापित किया है। हालांकि,

बचाव पक्ष ने संबंधित अभियुक्त और सूचक पक्ष के बीच विवाद को साबित करने के लिए बचाव पक्ष के साक्षियों की जाँच की है, साथ ही कुंदन सिंह के *अन्यत्र उपस्थिति* को साबित करने के लिए भी। इस प्रकार, उनके बयान के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

**चर्चा और निष्कर्ष :-**

35. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के साथ-साथ बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्य और पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा जिस निर्णय पर निर्भर किया गया है, उसकी भी पुनः अवलोकन की है। अभिलेख से पता चलता है कि ललित यादव (अ.सा.-2) का *फर्दबयान* अवर निरीक्षक रंजीत कुमार द्वारा 16.02.2016 को सिरसिया गाँव में 07: 30 बजे सुबह लिया गया था। उक्त *फर्दबयान* को कथित घटना के लिए दर्ज किया गया था जो 07: 00 बजे सुबह हुई थी। सूचक (अ.सा.-2) ने *फर्दबयान* में सभी वर्तमान अपीलार्थियों का नाम लिया और आरोप लगाया कि सभी नामित आरोपी व्यक्ति 3-4 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मोटरसाइकिल पर आए थे। सभी हथियार लिए हुए थे और सिरसिया *चौक* पर उन्होंने बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव की मोटरसाइकिलों को घेर लिया। आरोप है कि कुंदन सिंह ने अपनी पिस्तौल से गोली चलाई जो बीरेंद्र यादव के कनपटी में लगी। सभी अभियुक्तों ने पिस्तौल से गोली चलाई जो वे ले जा रहे थे और उक्त घटना में बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव को आग्नेयास्त्रों से चोटें आईं। यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष ने अ.सा.-1 और अ.सा.-2 को चश्मदीद साक्षी के रूप में पेश किया है। इसी तरह, अ.सा.-3 और अ.सा.-4 को भी पेश किया जाता है। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह दलील दिया जाता है कि अ.सा.-1, अ.सा.-2, अ.सा.-3 और अ.सा.-4 इच्छुक साक्षी हैं और अभियोजन पक्ष स्वतंत्र साक्षियों से पूछताछ करने में विफल रहा है, जिसमें साक्षी रामनंदन राय भी शामिल हैं, जिनके घर के पास कथित घटना हुई थी। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा यह भी दलील दिया गया है कि अन्य स्वतंत्र गवाह, जो घटना स्थल के आसपास थे, उनसे भी पूछताछ नहीं की गई थी। इस प्रकार, इस स्तर पर, हम अ.सा.-2 के बयान से यह पर्यवेक्षण करना चाहेंगे कि बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव दोनों उनके चचेरे भाई थे। यहां तक कि *फर्दबयान* में, अ.सा.-2 ने कहा है कि एक मोटरसाइकिल पर उनके चचेरे भाई बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव उनसे आगे जा रहे थे। इस प्रकार, यह पता चलता है कि अ.सा.-2 संबंधित और इच्छुक साक्षी है।इसके अलावा, कंडिका -18 में अ.सा.-1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सह-ग्रामीण होने के अलावा, वह और मृतक संबंधित हैं। इसके अलावा, अ.सा.-1 ने यह भी

स्वीकार किया है कि ललित यादव (अ.सा.-2) और बीरेंद्र यादव चचेरे भाई हैं। इसके अलावा, अशोक यादव, जो *मुखिया* हैं, ललित यादव (अ.सा.-2) के चचेरे भाई भी हैं। इसके अलावा, अ.सा.-4 ने कंडिका -20 में यह भी स्वीकार किया है कि मृतक बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव उसके परिचित थे। इसके अलावा, उन्होंने कहा था कि बीरेंद्र यादव की भाभी पहले गाँव की *प्रमुख* थी और कंडिका -34 में, उक्त साक्षी ने आगे कहा कि उनके दामाद राकेश कुमार चेचानी स्कूल में प्रखंड शिक्षक के रूप में तैनात हैं और उन्हें संबंधित समिति द्वारा नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, यह बचाव का मामला है कि उक्त साक्षी के दामाद को मृतक बीरेंद्र यादव के परिवार द्वारा नौकरी दी गई थी। इसके अलावा, अ.सा.-3 ने कंडिका -23,24 और 25 में यह भी स्वीकार किया है कि उसने हत्या के एक मामले में लक्ष्मी यादव (आरोपी) के बेटे के खिलाफ गवाही दी है। इस प्रकार, उपरोक्त साक्ष्य से यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त साक्षी इच्छुक/संबंधित साक्षी हैं। यह अच्छी तरह से तय है कि केवल इसलिए कि एक साक्षी एक संबंधित या इच्छुक साक्षी है, उसके बयान को खारिज नहीं किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे साक्षी द्वारा दिए गए बयान की बारीकी से/सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। इस प्रकार, अब हम अ.सा.-1 से अ.सा.-4 के बयान के प्रासंगिक हिस्से की जांच करना चाहेंगे।

36. अभियोजन पक्ष का मामला उपरोक्त चार साक्षियों के बयान पर आधारित है जिन्हें चश्मदीद साक्षी के रूप में पेश किया गया है। अ.सा.-1 राजेश कुमार यादव, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि जब वह सिरसिया गांव के चौराहे पर पहुंचे तो 6 लोग हाथों में हथियार लेकर खड़े थे। उक्त साक्षी ने 6 अभियुक्तों का नाम लिया और आगे कहा कि सभी के हाथों में पिस्तौल जैसे हथियार थे। उन्होंने आगे कहा कि बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव मोटरसाइकिल पर उनसे आगे थे और दूसरी मोटरसाइकिल पर वह ललित यादव (अ.सा.-2) के साथ थे। **विशिष्ट** मामला यह है कि बीरेंद्र यादव मोटरसाइकिल पर सवार थे और बिरजू यादव उनके पीछे बैठे थे। यह अ.सा.-1 का एक विशिष्ट कथन है कि कुंदन सिंह ने बीरेंद्र यादव को उनके दाहिने कनपटी पर गोली मार दी और अन्य सभी बदमाश बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव को गोली मारते रहे। यह भी कहा जाता है कि बीरेंद्र यादव को मारने के बाद, कुंदन सिंह ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मर गया या नहीं उसे उल्टा कर के देखा। उसने एक बार फिर उसकी पीठ पर गोली मार दी।

36.1. इसी तरह अ.सा.-2 ललित यादव (सूचक) ने भी ऐसी ही कहानी सुनाई है। अ.सा.-2 ने विशेष रूप से यह भी कहा है कि कुंदन सिंह ने बीरेंद्र यादव को माथे पर

गोली मारी और गोलीबारी जारी रखी, जबकि लक्ष्मी यादव, बारकू यादव, पप्पु यादव, सुशील यादव और मंगल यादव ने भी बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव दोनों को पीठ, माथे और बांह पर गोली मारी।उसके बाद कुंदन सिंह ने बीरेंद्र यादव को लात मारकर पलटने की कोशिश की और फिर उसने बीरेंद्र यादव की पीठ में गोली मार दी।

36.2. अ.सा.-3 बिनोद मुखिया, जो एक संयोग साक्षी हैं, ने यह भी विशेष रूप से बयान दिया है कि कुंदन सिंह ने अन्य लोगों के साथ अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और उक्त गोलीबारी के कारण बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव गिर गए। अ.सा.-4 गोपाल यादव भी एक संयोग साक्षी है, जिसने गवाही दी है कि जब वह सिरसिया गांव के चौराहे पर पहुंचा, तो उसने पाया कि 6 लोग हथियारों से लैस थे और बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव दूसरी तरफ से मोटरसाइकिल पर आ रहा है। इसके बाद किसी ने गोली चलानी शुरू कर दी। उसने कुंदन, बरकू यादव और भोटियाल यादव की पहचान की। उन्होंने यह भी कहा कि बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव की गोली लगने से मौत हो गई।

37. अब, तथाकथित चश्मदीद साक्षियों द्वारा दिए गए उपरोक्त संस्करण को ध्यान में रखते हुए, यदि अ.सा.-7 (चिकित्सक), जिन्होंने मृतक के शव का *अन्त्य परीक्षण* किया था, द्वारा दिए गए बयान की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, तो यह पता चलता है कि उक्त चिकित्सक को केवल एक प्रवेश घाव और एक निकास घाव मिला है। प्रवेश घाव ओसीपीटल क्षेत्र में खोपड़ी के पीछे पाया गया और बाईं आंख के नीचे निकास घाव पाया गया।

37.1. इस प्रकार, चिकित्सक के उपरोक्त बयान से यह कहा जा सकता है कि मृतक के शव पर केवल एक घाव पाई गई थी। हालाँकि, तथाकथित चश्मदीद साक्षियों द्वारा दिए गए संस्करण के अनुसार, सभी अभियुक्तों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें मृतक घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस स्तर पर, यह याद रखना आवश्यक है कि अ.सा.-1 ने कंडिका -24 से 26 के साथ-साथ कंडिका -28 में घटना के तरीके के बारे में बयान दिया है और कंडिका -15 में उन्होंने कहा है कि बिरजू यादव को बरकू यादव और पप्पू यादव ने गोली मारी थी। यह निर्दिष्ट करता है कि बरकू यादव ने बिरजू यादव को नाक के पास आंख के नीचे गोली मारी थी। गोली को करीब से मारा गया था और बरकू यादव द्वारा चलाई गई गोली शरीर में रह गई थी। उक्त साक्षी ने आगे कहा कि दोनों मृतक व्यक्तियों के शरीर पर कालेपन के निशान थे। अब, अ.सा.-7 (चिकित्सक) ने पाया कि मृतक बिरजू

यादव को केवल एक गोली की घाव लगी थी, यानी प्रवेश का बिंदु खोपड़ी के पीछे था और निकास बिंदु नाक के पास बाईं आंख पर था।

38. अब, अ.सा.-7 (चिकित्सक), जिन्होंने बीरेंद्र यादव के शव का *अन्त्य परीक्षण* भी किया था, द्वारा दिए गए बयान की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, उन्होंने पहली बाहरी चोट खोपड़ी के बाईं ओर के अग्र भाग में एक कटी हुई चोट के रूप में पाई, जिसका आकार 3″ x 1″ x मांसपेशी गहराई तक था। अन्य चोटें आग्नेयास्त्र से लगी थीं।। अब, जहाँ तक घाव संख्या 1 का संबंध है, अ.सा.-7 ने कंडिका -43 से 46 में विशेष रूप से कहा है कि घाव संख्या 1 मृतक बीरेंद्र यादव के कनपटी पर पाई गई थी और उक्त घाव कठोर और कुंद हथियार से हुई हो सकती है। इसके अलावा, अ.सा.-7 ने कंडिका -40 में स्वीकार किया है कि उसे प्रवेश घाव पर कोई जलने का निशान , टैटू या कालापन नहीं मिला। उक्त साक्षी ने कंडिका -42 में आगे स्वीकार किया कि, वर्तमान मामले में, गोलियां 7 फीट से अधिक की दूरी से चलाई गई थीं।इसके अलावा, कंडिका -18 में उनका कहना है कि प्रवेश के सभी घाव मृतक व्यक्ति की पीठ पर पाए गए हैं। इस स्तर पर, यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि, तथाकथित चश्मदीद साक्षी के कथन के अनुसार, घटना 07: 30 बजे सुबह हुई। हालाँकि, यदि अ.सा.-7 द्वारा दिए गए बयान को सावधानीपूर्वक जाँच करने पर यह पता चलता है कि उक्त साक्षी ने 3: 00 बजे अपराह्न *अन्त्य परीक्षण* शुरू किया और उन्होंने विशेष रूप से राय दी है कि मृत्यु के बाद से बीता समय 36 घंटे है क्योंकि *मरणोत्तर कठोरता* मौजूद थी।

39. इस प्रकार, विशेषज्ञ यानी चिकित्सक, जिसने *अन्त्य परीक्षण* जाँच किया था, द्वारा दिए गए चिकित्सा साक्ष्य से, तथाकथित चश्मदीद साक्षियों द्वारा दिए गए कथन को पूरी तरह से खारिज कर देता है कि सभी नामित अभियुक्तों और अन्य 3-4 अज्ञात अभियुक्तों ने अंधाधुंध गोलीबारी की जिसमें दोनों मृतक घायल हो गए। इसके अलावा, तथाकथित चश्मदीद साक्षियों का कथन विशिष्ट है कि आरोपी कुंदन सिंह ने मृतक बीरेंद्र यादव के कनपटी पर गोली चलाई थी। उक्त संस्करण चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पुष्ट नहीं है। यहां तक कि अभियोजन पक्ष भी मृतक बीरेंद्र यादव को लगी घाव संख्या 1 की व्याख्या करने में विफल रहा है जो कठोर और कुंद वस्तु के कारण हुई थी। यह भी आश्चर्य की बात है कि आरोपी द्वारा की गई तथाकथित अंधाधुंध गोलीबारी में पीछे बैठे व्यक्ति को केवल एक गोली लगी, जबकि मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति यानी बीरेंद्र यादव को 5 से 6 चोटें आईं और, चिकित्सा साक्ष्यों के अनुसार, बीरेंद्र यादव को लगी सभी चोटें पीछे की ओर से थीं।

40. इस स्तर पर, अ.सा.-8 द्वारा दिए गए बयान की भी बारीकी से जांच की जानी चाहिए। **यह ध्यान देने योग्य है** कि, प्रति- परीक्षण के दौरान, उक्त साक्षी यानी अनुसंधान कर्ता (अ.सा.-8) ने बचाव पक्ष द्वारा पूछे गए कई सवालों/सुझावों का जवाब यह कहकर टाल दिया है कि वह नहीं जानता और वह भूल गया है। अ.सा.-8 ने बयान दिया कि उसे घटना के बारे में जानकारी मिली और इस तरह से प्राप्त जानकारी स्टेशन दैनिकी में दर्ज की गई थी।हालांकि, वह स्टेशन दैनिकी में *सनहा* नंबर का उल्लेख करना भूल गया ।उक्त साक्षी ने विशेष रूप से स्वीकार किया है कि उसे 06:00-06:20 बजे सुबह के बीच घटना के बारे में जानकारी मिली थी। उक्त पहलू को स्टेशन दैनिकी में बताया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह यह नहीं कह सकते कि यह जानकारी किसने दी थी । अ.सा.-8 ने आगे स्वीकार किया है कि आरक्षी अधीक्षक ने उसे सूचित किया कि हत्या हुई है और इसलिए, उसने आरक्षी अधीक्षक को सूचित किया कि उसे अपने कर्मचारियों से भी यही जानकारी मिली थी । उक्त साक्षी ने आगे स्वीकार किया है कि वर्तमान मामले में उसके द्वारा की गई जांच के कारण उसे निलंबित कर दिया गया था। उक्त साक्षी ने कंडिका -169 में यह भी स्वीकार किया है कि औपचारिक प्राथमिकी 16.12.2016 को 15: 30 बजे दर्ज़ किया गया था जबकि जब्ती सूची 07: 40 बजे सुबह  तैयार की गई थी। जब्ती सूची प्रदर्श-5 में, प्राथमिकी संख्या का संदर्भ है। उन्होंने आगे स्वीकार किया था कि उन्होंने खून से लथपथ मिट्टी एकत्र नहीं की थी और न ही उन्होंने उसे एफ. एस. एल. को भेजा था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने अरुण यादव का बयान दर्ज किया था जो घटनास्थल के पास रह रहे थे जिसका पूरक वाद दैनिकी के कंडिका -10 में एक संदर्भ था। इसके अलावा, अ.सा.-8 के बयान से यह कहा जा सकता है कि तथाकथित साक्षियों  ने पहली बार न्यायालय के समक्ष कुछ पहलुओं के बारे में कहा है और उन्होंने संहिता की धारा 161 के तहत बयान देते समय ऐसा नहीं कहा था।

41. इस स्तर पर, हम उन निर्णयों की जांच करना चाहेंगे जिन पर सूचक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निर्भरता रखी गई है। **राजेश यादव (उपरोक्त), गुलाब (उपरोक्त)** के साथ-साथ **विजेंद्र सिंह (उपरोक्त)** के मामले में , माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल यह तथ्य कि मृतक के रिश्तेदार ही एकमात्र साक्षी हैं, उनकी ठोस गवाही को अमान्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि केवल इसलिए कि कोई साक्षी संयोग से किसी घटना को देखता है, उसकी गवाही को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, हालांकि कभी-कभी थोड़ी और जांच की आवश्यकता हो

सकती है।

41.1.हम उपरोक्त निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक सिद्धांत पर विवाद नहीं कर सकते। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वर्तमान मामले में अ.सा.-1 और अ.सा.-2 मृतक के रिश्तेदार हैं और इच्छुक साक्षी भी हैं। उक्त पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अलावा, अ.सा.-3 और अ.सा.-4 संयोग साक्षी हैं। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, संबंधित/इच्छुक साक्षियों द्वारा दिए गए बयान की बारीकी से जांच की जानी चाहिए।

42. **रमेशजी अमरसिंह टकोर (उपरोक्त)** साथ ही **दरबार सिंह (उपरोक्त)** के मामले में, यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के बजाय प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यहाँ फिर से, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक सिद्धांत पर विवाद नहीं कर सकते। हालांकि, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से, यदि घटना के स्थान पर तथाकथित चश्मदीद साक्षियों की उपस्थिति संदेह पैदा करती है और जिस तरह से घटना हुई, तथाकथित चश्मदीद साक्षियों के संस्करण के अनुसार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों से समर्थित नहीं है, जिसमें चिकित्सा साक्ष्य और अनुसंधान कर्ता का बयान शामिल है। चिकित्सा साक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाती है और इसलिए, हमारा विचार है कि उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों में सूचक को कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे।

43. **राम नरेश (उपरोक्त)** और **विजेंद्र सिंह (उपरोक्त)** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भा.दं.वि की धारा 34 में निहित प्रावधानों पर चर्चा की है और यह अभिनिर्धारित किया है कि भा.दं.वि की धारा 34 को लागू करने के लिए सभी अभियुक्त व्यक्तियों का एक समान इरादा होना चाहिए जिसका अर्थ है उद्देश्य और सामान्य योजना का समुदाय। सामान्य इरादा एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है और यह घटना के वास्तविक रूप से घटित होने से एक मिनट पहले या घटना के घटित होने के दौरान भी बन सकता है। यहाँ भी हम उपरोक्त निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक सिद्धांत पर विवाद नहीं कर सकते। हालांकि, ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, जब तथाकथित चश्मदीद साक्षियों द्वारा दिया गया बयान विश्वसनीय नहीं है और जब अभियोजन पक्ष घटना के समय, घटना के तरीके को साबित करने में विफल रहा है और तथाकथित चश्मदीद साक्षियों की उपस्थिति के संबंध में संदेह पैदा होता है, तो उपरोक्त निर्णय सूचक को कोई सहायता प्रदान

नहीं करेंगे।

44. **कमल प्रसाद (उपरोक्त)** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्यत्र उपस्थिति की याचिका के संबंध में सिद्धांतों पर चर्चा की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **कंडिका -24 से कंडिका -24.5** में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः-

> "**24.** अन्यत्र उपस्थिति की याचिका के संबंध में सिद्धांत, जैसा कि इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से समझा जा सकता है, ये हैंः
>
> **24.1.** यह भा.दं.वि के तहत सामान्य अपवादों का हिस्सा नहीं है और इसके बजाय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 11 के तहत साक्ष्य का नियम है।
>
> **24.2.** यह याचिका दायर किए जाने से अभियोजन पक्ष का यह साबित करने का दायित्व कम नहीं होता है कि आरोपी अपराध स्थल पर मौजूद था और उसने इसमें भाग लिया था।
>
> **24.3.**अभियोजन पक्ष द्वारा अपने दायित्व का संतोषजनक रूप से निर्वहन करने के बाद ही इस तरह की याचिका पर विचार किया जाना है।
>
> **24.4.** याचिका को साबित करने का दायित्व इस तरह की याचिका दायर करने वाले व्यक्ति पर है। इसे ठोस और संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करके प्राप्त किया जाना चाहिए।।
>
> **24.5.** इसे निश्चितता के साथ साबित करने की आवश्यकता है ताकि अपराध स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति की संभावना को पूरी तरह से खारिज किया जा सके। दूसरे शब्दों में, जब इस तरह की याचिका ली जाती है तो "सख्त जांच" के मानक की आवश्यकता होती है।"

45. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यदि उपर्युक्त चर्चा के अनुसार, वर्तमान मामले के साक्ष्य और तथ्यों की जाँच की जाए, तो हमारा मानना है कि निम्नलिखित स्पष्ट पहलू सामने आएंगे: -

**(क)** अ.सा.-8 (अनुसंधान कर्ता) को 16.02.2016 को लगभग 06:00-06:20 बजे सुबह घटना के बारे में जानकारी मिली। उक्त पहलू को उन्होंने स्टेशन दैनिकी में बताया है। हालांकि, उक्त स्टेशन दैनिकी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई थी । उन्हें नहीं पता कि यह जानकारी किसने दी। इसके अलावा, आरक्षी अधीक्षक ने अ.सा.-8 को सूचित किया कि हत्या की घटना हुई थी और इसलिए, उन्होंने आरक्षी अधीक्षक को सूचित किया कि उन्हें पहले ही उक्त जानकारी मिल चुकी थी।

**(ख)** तथाकथित चश्मदीद साक्षियों, अर्थात अ.सा.-1 से अ.सा.-4 के संस्करण के अनुसार, घटना 07: 00 बजे सुबह हुई और *फर्दबयान* 07: 30 बजे सुबह दर्ज किया गया था।

**(ग)** 07: 45 बजे सुबह , अ.सा.-8 द्वारा जब्ती सूची प्रदान की गई थी। आश्चर्य की बात है कि उक्त जब्ती सूची में प्राथमिकी संख्या का उल्लेख किया गया है।

**(घ)** वास्तव में, औपचारिक प्राथमिकी का पंजीकरण 03:30 अपराह्न को किया गया, जिससे पहले पूछताछ प्रतिवेदन भी तैयार की गई थी और *अन्त्य परीक्षण* जांच की गई थी।

**(ङ)** अ.सा.-1 और अ.सा.-2 इच्छुक/संबंधित साक्षी हैं। यह उनका विशिष्ट कथन है कि बीरेंद्र यादव मोटरसाइकिल पर सवार थे और बिरजू यादव उनके पीछे बैठे थे। कुंदन सिंह ने बीरेंद्र यादव को उसके दाहिने कनपटी में गोली मारी और अन्य सभी उपद्रवी भी बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव पर गोलीबारी करते रहे। बीरेंद्र यादव को मारने के बाद, कुंदन सिंह ने यह सुनिश्चित करने के लिए उसे उल्टा करके देखा कि वह मर गया है या नहीं। उसने एक बार फिर उसकी पीठ पर गोली मार दी। इसके अलावा, गोली को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया और बरकू यादव और पप्पू यादव ने बिरजू यादव पर गोली चलाई। बरकू यादव ने बिरजू यादव को उसकी आँखों के नीचे उसकी नाक के पास गोली मार दी। बिरजू यादव पर दो गोलियां चलाई गईं।

**(च)** अ.सा.-3 और अ.सा.-4 संयोग साक्षी हैं और यह उनका विशिष्ट कथन है कि कुंदन सिंह ने अन्य अभियुक्तों के साथ अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।

उक्त गोलीबारी के कारण बीरेंद्र यादव और बिरजू यादव गिर गए।

**(छ)** इस प्रकार, यह अभियोजन पक्ष के साक्षियों का एक विशिष्ट कथन है कि अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी। इसके अलावा, बिरजू यादव को दो गोलियां लगीं और एक-एक गोली बरकू यादव और पप्पू यादव ने चलाई। इसके अलावा, कुंदन सिंह ने बीरेंद्र यादव को उनके दाहिने कनपटी में गोली मार दी और पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलीबारी की गई।

हालाँकि, चिकित्सा साक्ष्य से यह पता चलता है कि अ.सा.-7 ने स्पष्ट रूप से गवाही दी है कि बीरेंद्र यादव के शव पर खोपड़ी के बाईं ओर, 3"x1"x मांसपेशियों में गहराई तक एक घाव पाया गया था।

**(ज)** उन्होंने प्रति- परीक्षण के दौरान, यह भी स्वीकार किया है, कि घाव संख्या 1 रॉड यानी एक कठोर और कुंद हथियार से संभव हो सकती है। उन्होंने आगे कहा है कि, वर्तमान मामले में गोली 7 फीट से अधिक की दूरी से चलाई गई थी इसके अलावा, अ.सा.-7 ने विशेष रूप से कहा है कि मृत्यु के बाद से बीता समय 36 घंटों के भीतर था क्योंकि मृत शरीर में *मरणोत्तर ठोरता* मौजूद थी । इसके अलावा, उन्होंने कहा कि बिरजू यादव के शव पर केवल एक घाव पाई गई थी, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दो आरोपी व्यक्तियों ने गोली चलाई थी। यह आगे पता चलता है कि सभी प्रवेश घाव पीछे की ओर थे। यह आश्चर्य की बात है कि अंधाधुंध गोलीबारी में, एक व्यक्ति को सात चोटें आईं, जबकि पीछे बैठे व्यक्ति को केवल एक गोली लगी। इस प्रकार, चिकित्सा साक्ष्य तथाकथित चश्मदीद साक्षियों के संस्करण को पूरी तरह से खारिज करते हैं।

**(झ)** कुंदन सिंह ने *अन्यत्र उपस्थिति* का विशिष्ट बचाव लिया है और बचाव पक्ष के साक्षियों से यह दलील देते हुए पूछताछ की है कि, वास्तव में, वह अपने भतीजे के विवाह समारोह में सोनवर्षा गांव में मौजूद थे। उक्त दलील के समर्थन में, सी. डी. आर. और टोल प्लाजा आदि को पार करने वाले वाहनों के फुटेज प्रस्तुत किए गए। वास्तव में, अ.सा.-8 (अनुसंधान कर्ता) ने यह भी स्वीकार किया है कि जब वह कुंदन सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गांव सोनवर्षा गया था, तो वह अपने भतीजे के घर पर पाया गया था जब शादी समारोह चल रहा था और कई मेहमान मौजूद थे।

**(ञ)** अ.सा..-8 (अनुसंधान कर्ता), औपचारिक प्राथमिकी की पंजीकरण से पहले, घटना स्थल से सीधे लक्ष्मी यादव को गिरफ्तार करने के लिए गए जो उसी गाँव में रह रहा था, और वास्तव में, वह अपने घर में पाया गया और उसने घर से भागने की कोशिश नहीं की थी। इसके बाद, अनुसंधान कर्ता निजी वाहन से कुंदन सिंह को गिरफ्तार करने गए थे, जो सोनबरसा गाँव में था, जो दूसरे जिले में स्थित है और 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। इन दोनों व्यक्तियों को औपचारिक प्राथमिकी के पंजीकरण से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, अनुसंधान कर्ता का आचरण, एक सामान्य आचरण नहीं था और, वास्तव में, उसने स्वीकार किया है कि उसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया था।

46. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों/अभियुक्तों के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का आदेश दिया है और इसलिए, आक्षेपित निर्णय और आदेश को निरस्त और रद्द किया जाना चाहिए।

**<u>निष्कर्षः-</u>**

47. तदनुसार, बिथान थाना कांड संख्या 14/2016 से उद्भूत सत्र परीक्षण संख्या 295/2017 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, रोसरा, समस्तीपुर द्वारा पारित दिनांक 04.01.2019 का दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दिनांक 08.01.2019 की सजा का आदेश निरस्त और रद्द किया जाता है।

48. सभी अपीलार्थियों को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

49. अपीलार्थी कृष्ण कुमार यादव उर्फ बरकू यादव (2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) संख्या 262 में) जमानत पर है। उसे अपने जमानत बांड की देनदारियों से मुक्त किया जाता है।

50. अपीलकर्ता कुंदन सिंह उर्फ कुंदन कुमार सिंह (2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) संख्या 293 में) और लक्ष्मी यादव उर्फ भोटियाल (2019 की आपराधिक अपील (खं. पी.) संख्या 354 में) हिरासत में हैं। यदि किसी अन्य मामले में उनकी

हिरासत की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

51. तदनुसार, सभी अपीलों को स्वीकार किया जाता है।

**(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)**

**(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)**

सचिन/-

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**